केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/17 दिनांक: 25.04.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00017
CICOM/R/2015/01194

अपीलकर्ता : श्री विमल कुमार,
463-ए, द्वितीय तल,
झील शब्जी मंडी, कैरियर पब्लिक स्कूल के पास,
दिल्ली – 110051.

निर्णय की तारीख : 25.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.12.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	10.12.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री उमेश चन्द्र जोशी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.12.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	184179/23.12.2015
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	613/29.12.2015

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 2 बिंदुओं पर द्वितीय अपील की सुनवाई पद्धति अर्थात सुनवाई नियम-कानून के अनुसार की जाती है या नहीं, से संबंधत जानकारी मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्णतः सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

O/C

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली । 26/4/16
2. श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, नई दिल्ली । 27/4/16

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
26 APR 2016
Initials........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
27 APR 2016
D. No........
Initials........